न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष–आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रामंक 1636–दो/07 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.8.07 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 625/अपील/2001–02.

यमुना सिंह तनय नेपाल सिंह क्षत्रिय
निवासी ग्राम गनियारी तहसील सिंगरौली
जिला सीधी म0प्र0 --- आवेदक

विरूद्ध

तेज लाल तनय देवशरण साहू
निवासी गनियारी तहसील सिंगरौली
जिला सीधी म0प्र0 --- अनावेदक

आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी
अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय है

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 05–01–2016 को पारित)

यह निगरानी प्र0क0 अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 625/अपील/01–02 में पारित आदेश दिनांक 23.8.07 के विरूद्ध दायर हुआ है ।

2- प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । निगरानी मेमो के अनुसार रामप्रसाद के दो पुत्र थे देवशरण एवं जंगी। देवशरण के एक पुत्र तेजलाल गैरनिगराकार एवं जंगी ने दिनांक 14.7.1963 को निगराकार यमुना सिंह को ग्राम गनियारी की भूमि खसरा नंबर 754/1.78 एकड़ बेची, जिसका अविवादित नामांतरण राजस्व निरीक्षक के आदेश दिनांक 5.9.1963 से नामांतरण पंजी कमांक-7 दिनांक 25.7.63 में हुआ। तेजलाल को इसकी जानकारी 1968 में मिली, जब उनकी अपील पर आदेश दिनांक 7.1.69 से राजस्व निरीक्षक का आदेश निरस्त हुआ। इसके विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष की अपील में आदेश दिनांक 12.1.1972 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त हुआ। तदुपरांत तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30.4.77 से पूर्व आदेश दिनांक 5.9.1963 यथावत किया। इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30.8.1977 से तहसीलदार का यह आदेश निरस्त किया। इसके विरूद्ध अपील में अपर आयुक्त ने दिनांक 24.1.84 से प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि तहसीलदार 1963 में यमुना को कब्जा मिला था या नहीं चेक करने के आधार पर विक्रय पत्र की संदिग्धता के संबंध में निर्णय लें। इसके बाद तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30.10.96 से यमुना सिंह को वाद भूमि पर भूमिस्वामी घोषित किया। इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 23.5.02 से

तहसीलदार का आदेश दिनांक 30.10.96 एवं पुराना आदेश दिनांक 5.9.1963 निरस्त किये । इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अपर आयुक्त ने आक्षेपित आदेश दिनांक 23.8.07 से निरस्त किया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत हुई।

3- प्रकरण अनावेदक के विरूद्ध एक पक्षीय हो चुका है। अतः आवेदक अधिवक्तां के तर्क सुने गये, जिन्होंने निगरानी मेमो के बिन्दुओं को दोहराते हुये अपना पक्ष समर्थन किया।

4- मेरे द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेखों का परिशीलन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त के आक्षेपित आदेश दिनांक 23.8.07 एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23.5.02 में विवेचना करते हुये अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के स्पष्ट एवं आधार दर्शाये गये हैं। इनका परिशीलन एवं अभिलेखों का अध्ययन करने के उपरांत मैं इन आदेशों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता । परिणामतः यह निगरानी अस्वीकार करता हूॅ। प्रकरण समाप्त । पक्षकार सूचित हों। अभिलेख वापस हो । राजस्व मण्डल का अभिलेख संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

5.1.16

आशीष श्रीवास्तव
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर